

# Daily Current Affairs

Date : 07 April, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पहल
2.	अवधेश आकोदिया
3.	ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज - नेविगेटिंग लाइफ
4.	पायल नाग
5.	बाबू जगजीवन राम
6.	भारत का बढ़ता मत्स्य पालन क्षेत्र
7.	राज्यसभा में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ/ अनुच्छेद-99
8.	अरब लीग परिषद के नए महासचिव
9.	2025-26 में भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता
10.	फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) परियोजना (यार्ड 16501-14)
11.	फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कलपक्कम

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पहल



#### चर्चा में क्यों?

- जनजातीय क्षेत्रों में किसान, महिला, युवा एवं बालिका शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार विरोध अभियान चला रही है।



#### मुख्य बिन्दु:

##### आधारभूत संरचना एवं तीर्थ विकास-

- सलूमबर - सोनार माता मंदिर
- बाँसवाड़ा - सलाकेश्वर महादेव मंदिर (आनंदपुरी)
- उदयपुर - रामकुण्डा महादेव मंदिर (झाड़ोल)
- डूंगरपुर - आदिवासी बस्तियों में सड़क, पुलिया व बरसाती नालों का निर्माण।

##### कृषि उत्पादन पहलें-

- कांगनी, कोदो, सांवा, कुटकी, चीना और रागी जैसे मिलेट्स की 100 हेक्टेयर क्षेत्रों में प्रदर्शनी।
- ₹85 करोड़ की लागत से 8,50,000 जनजाति कृषकों को संकर मक्का बीज (मिनीकित) उपलब्ध करायी जाएगी।

##### वन उपज मूल्य संवर्धन-

- स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर एवं बाँसवाड़ा में आँवला, शहद, इमली और महुआ के लघु वन उपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

--2--

## महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा-

- सहरिया, खैरवा (बारां) और कथौड़ी (उदयपुर) में पात्र जनजातीय परिवारों को खाद्य सामग्री के स्थान पर महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे ₹1200 ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना से ₹55 करोड़ व्यय कर 38000 परिवार लाभान्वित होंगे।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिरोही में जनजाति बालिकाओं के लिए छात्रावास खोला जाएगा।

## वनाधिकार पट्टों का सुदृढ़ीकरण-

- राज्य सरकार द्वारा जनजाति समाज को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किये जाएंगे, जिससे उन्हें उनकी भूमि पर पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ मिल सके।
- आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर, बाँसवाड़ा में ग्रामदानी अधिनियम शासित गाँवों की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर इन गाँवों के किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें बैंक ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

## अवधेश आकोदिया

### चर्चा में क्यों?

- 5 अप्रैल, नई दिल्ली में आयोजित दानिश सिद्धिकी जर्नलिज्म अवॉर्ड, 2026 अवधेश आकोदिया को दिया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 5 अप्रैल, 2026, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली दानिश सिद्धिकी फाउंडेशन द्वारा।
- **श्रेणी:** ज्यूरी स्पेशल मेंशन।
- **महत्त्व:** उन्हें यह सम्मान राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) फंड में हुए बड़े घोटाले के खुलासे के लिए दिया गया।
- हाल ही में, उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रदान किया गया।


## ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज - नेविगेटिंग लाइफ

### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RALSA) ने एक अभिनव विधिक साक्षरता अभियान "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज-नेविगेटिंग लाइफ" की शुरुआत की है।



प्रदेश के **1,400 विद्यालयों** में **4 लाख से अधिक विद्यार्थियों** तक पहुंचेगी विधिक जागरूकता



साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस, स्कूलों में लगेगी 'कोर्ट वाली दीदी' शिकायत पेटियां

--5--



## मुख्य बिन्दु:

- इस पहल के तहत, हर मंगलवार को 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूक करेंगे।
- **विषय:** यह अभियान "क्लिक करने से पहले सोचो; ऑनलाइन सुरक्षित रहो इंटरनेट सब कुछ याद रखता है" विषय को लेकर शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर अवरोधों (जैसे बुलिंग और मॉर्फिंग) और संरक्षण उपायों के बारे में सशक्त बनाना।

## कोर्ट वाली दीदी बॉक्स-

- यह पहल इसी अभियान के तहत बच्चों को बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याओं को साझा करने का मंच प्रदान करती है।
- छात्र किसी भी प्रकार की समस्या लिख कर इस पेटी में डाल सकते हैं।
- यह पेटी हर मंगलवार को प्रत्येक स्कूल में रखी जाएगी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसे खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त छात्रों को तत्काल सहायता हेतु RALSA ने हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किए हैं।
- **RALSA हेल्पलाइन - 9928900900**
- **NALSA टोल-फ्री हेल्पलाइन - 15100**



## राष्ट्रीय परिदृश्य



### पायल नाग



#### चर्चा में क्यों?

- विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 18 वर्षीय तीरंदाज पायल नाग ने बैंकॉक में आयोजित महिला कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता।



#### मुख्य बिन्दु:

- पायल नाग की उपलब्धि: वह बिना हाथ-पैर के तीरंदाजी में स्वर्ण जीतने वाली प्रमुख पैरा-एथलीटों में शामिल हैं।
- इससे पहले उसने जनवरी, 2025 में जयपुर में आयोजित पैरा नेशनल प्रतियोगिता में शीतल को हराया था।

--7--

# Daily Current Affairs

Date : 07 April, 2026



- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने सात स्वर्ण, पाँच रजत और चार कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते।

**भारत के अन्य पदक विजेता तीरंदाज:**

1. **तोमन कुमार:** कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में तोमन कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिलने को हराकर स्वर्ण पदक जीता
2. **भावना:** भावना ने रिकर्व महिला स्पर्धा में थाईलैंड की पथराफोन पट्टावेओ को हराकर खिताब जीता।
3. **हरविंदर सिंह:** दो बार के पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह को रिकर्व फाइनल में इंडोनेशिया के खोलिदीन से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
4. **स्वाति चौधरी:** महिला वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में दक्षिण कोरिया की ओक ग्यूम किम से हारकर रजत पदक जीता।
5. **श्याम सुंदर स्वामी:** कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में राकेश कुमार को हराकर कांस्य पदक हासिल किया।

--:8:--



## इतिहास एवं संस्कृति




### बाबू जगजीवन राम



#### चर्चा में क्यों?

- 5 अप्रैल, 2026 को भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम (बाबूजी) की 119वीं के अवसर पर नई दिल्ली के समता स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



#### मुख्य बिन्दु:

- जन्म:** 5 अप्रैल, 1908 को चंदवा (बिहार)
- सामाजिक जागृति:** वर्ष 1935 में अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान:**
- बाबूजी, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे।
- अंतरिम सरकार:** वर्ष 1946 में, वे जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने और उन्होंने श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला।
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में प्रमुख योगदान:**
- खाद्य एवं कृषि मंत्री (1967-1970) के रूप में, उन्हें हरित क्रांति का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय दिया जाता है।
- वर्ष 1977 में, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया, जो अंततः जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गया।
- वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में उनका नेतृत्व भारत की विजय और उसके बाद बांग्लादेश के जन्म में महत्वपूर्ण था।
- उन्होंने जनवरी, 1979 से जुलाई, 1979 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- वे 35 वर्षों तक मंत्रिमंडल मंत्री रहे और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालने वाले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मंत्री हैं।


--9--

## आर्थिक घटनाक्रम

### भारत का बढ़ता मत्स्य पालन क्षेत्र

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय बजट, 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,761.80 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।
- मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।





## मुख्य बिन्दु:

- **भारत की वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसका वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान है।
- **कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में हिस्सेदारी:** कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में मत्स्य पालन की हिस्सेदारी लगभग 7.43 प्रतिशत है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है।
- **निर्यात:** समवर्ती रूप से समुद्री खाद्य निर्यात में काफी वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जिसमें "जमे हुए झींगा" प्रमुख निर्यात वस्तु बने हुए हैं। अमेरिका और चीन इसके प्रमुख बाजारों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **मत्स्य पालन हेतु भारत सरकार के प्रयास:**



- नीली क्रांति:** वर्ष 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति उत्पादकता बढ़ाकर, बुनियादी ढाँचे का विस्तार करके और आधुनिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर मछली उत्पादन को बढ़ाने और अंतरदेशीय तथा समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास करती है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):**
  - परिचय:** इस योजना में व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण शामिल है। इसमें मछलियों का पता लगाने की क्षमता, संस्थागत मत्स्य पालन प्रबंधन और मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर जोर दिया गया है।
  - शुभारंभ:** 10 सितंबर, 2020
  - उद्देश्य:** मछली उत्पादन और इसकी उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता मानकों को उन्नत करना, तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन के बाद के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और मत्स्य पालन प्रबंधन में सुधार करना।
  - कार्यान्वयन मंत्रालय:** इसका कार्यान्वयन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जाता है।
  - PMMSY ने 2026-27 में 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मत्स्य पालन विकास को जारी रखा है।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):**
  - FIDF को 2018-19 में समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और मत्स्य क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
  - इस गति को जारी रखने के लिए, सरकार ने FIDF योजना को अप्रैल, 2023 से मार्च, 2026 तक तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

- o इस योजना में 12.50 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
  - o FIDF के तहत प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक की ब्याज छूट भी प्रदान की जाती है। यह सहायता नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने में मदद करती है।
4. **राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच (NFDP):** मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन और औपचारिकता को आगे बढ़ाने के लिए PM-MKSSY के तहत सितंबर, 2024 में राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) लॉन्च किया।
5. **समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, 2025:** 31 अक्टूबर, 2025 को शुरू की गई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना (MFC) 2025, देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल और भू-संदर्भित डेटा संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।

**Marine Fisheries Census (MFC) 2025**  
**Fully Digital & Paperless**  
Smart Census for Smarter Fisheries

**Launch**  
Launched on 31 October 2025 by the Department of Fisheries under PMMSY

**Survey Duration**  
45-Day Nationwide Census  
3 November – 18 December 2025

**Digital Platform**  
Data collection through Android-based mobile applications VyAS-NAV, VyAS-BHARAT and VyAS-SUTRA enabling real-time digital and paperless enumeration

**Coverage**  
Survey of 1.2 million fisher households across 5,000 villages/habitations in 13 coastal States & UT

Source: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

- **बायो-फ्लॉक प्रौद्योगिकी:** बायो-फ्लॉक सिस्टम जैविक कचरे को फ़ीड में परिवर्तित करने, पानी की गुणवत्ता और मछली के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए लाभकारी रोगाणुओं का उपयोग करते हैं। यह पर्यावरण-अनुकूल और लागत प्रभावी तरीका कम जगह में अधिक मछली उत्पादन के लिए आदर्श है।
- **रिसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS):** यह एक आधुनिक मछली-पालन विधि है जिसमें पानी को फ़िल्टर किया जाता है और उसका फिर से उपयोग किया जाता है। इस विधि में अपशिष्ट और गंदगी को हटा दिया जाता है, जिससे वह पानी फिर से उपयोग योग्य बन जाता है। यह विधि बहुत कम भूमि और पानी का उपयोग करके अधिक संख्या में मछली पालन करने के लिए आदर्श है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### राज्यसभा में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ/ अनुच्छेद-99



#### चर्चा में क्यों?

- 6 अप्रैल, 2026 को राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में 19 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई।



#### मुख्य बिन्दु:

- अनुच्छेद- 99; शपथ या प्रतिज्ञान:** राज्यसभा के सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित शपथ लेनी होती है।
- नवनिर्वाचित/पुनर्निर्वाचित सदस्य:** रामदास बंडु आठवले, माया चिंतामन इवनाते, शरदचंद्र पवार, रामराव सखाराम वाडकुटे, डॉ. ज्योति नागनाथ वाघमारे, क्रिस्टोफर मनिकम, डॉ. अंबुमणि रामदॉस, कॉन्स्टैंडाइन रवींद्रन, एल.के. सुधीश, डॉ.एम. थंबीदुरई, तिरुचि शिवा, बाबुल सुप्रियो बराल, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, रुक्मिणी मलिक, विश्वजीत सिन्हा, संतुप्त मिश्रा, दिलीप कुमार रे और मनमोहन सामल।
- भाषाई विविधता:** राज्यसभा कक्ष में तीन सदस्यों ने मराठी में, दो ने हिंदी में, छह ने तमिल में, एक ने अंग्रेजी में, चार ने बंगाली में और तीन ने ओडिया में शपथ ली।
- क्षेत्रीय विविधता:** नए सदस्यों में पाँच महाराष्ट्र से, छह तमिलनाडु से, पाँच पश्चिम बंगाल से और तीन सदस्य ओडिशा से हैं।
- इनमें से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चार-चार, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिव सेना, राकांपा (शरद पवार), बीजू जनता दल, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, पीएमके, मरूमलारची द्रमुक का एक-एक और एक निर्दलीय सदस्य शामिल हैं।

- शपथ लेने वाले सदस्यों में तीन महिलाएँ और 16 पुरुष हैं। इनमें से पाँच सदस्य सदन में दोबारा चुनकर आये हैं।
- **आकार; अनुच्छेद 80:** संसद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है यह अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 (238+12) सदस्य हो सकते हैं।

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

### राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया:

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान का अनुच्छेद-80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य शामिल हैं।
- **सीटों का आवंटन:** चौथी अनुसूची के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सीटें आवंटित की जाती हैं।
- **पात्रता:** संविधान का अनुच्छेद-84 संसद की सदस्यता के लिये योग्यता निर्धारित करता है; व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये, तीसरी अनुसूची के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी चाहिये, उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिये और संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित कोई अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिये।
- **चुनाव प्रणाली:** सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
  - प्रत्येक विधायक का वोट एकल मान (1) रखता है, और जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या (कोटा) निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है: कोटा =  $[\frac{\text{कुल वोट}}{\text{सीटों की संख्या} + 1}] + 1$
  - भारत में राज्यसभा चुनाव के लिए अपनाई गई एकल संक्रमणीय मत (STV) प्रणाली आयरलैंड से प्रेरित है।
  - इस प्रणाली में विधायक (MLA) किसी एक प्रत्याशी को मत देने के स्थान पर मतपत्र पर प्रत्याशियों को अपनी वरीयता के क्रम (1, 2, 3 आदि) में अंकित करते हैं।

- निर्वाचित घोषित होने हेतु प्रत्याशी को निर्धारित निर्वाचन कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो अधिशेष मतों को द्वितीयक वरीयता के अनुपात में अगले प्रत्याशी को हस्तांतरित किया जाता है।
- यदि सभी रिक्त स्थान नहीं भरते, तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है तथा उसके मत शेष प्रत्याशियों में आगामी वरीयताओं के आधार पर पुनर्वितरित किये जाते हैं।
- **निर्वाचक मंडल:** केवल राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (MLAs) ही निर्वाचन में भाग लेते हैं।
- **'ओपन बैलेट' प्रणाली:** राजनीतिक दलों से संबद्ध विधायकों के लिये मतदान पूर्णतः गोपनीय नहीं (वर्ष 2003 के बाद से) होता।
  - प्रत्येक दल का विधायक अपना चिह्नित मतपत्र मतपेटी में डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को प्रदर्शित करता है, जिससे क्रॉस-वोटिंग तथा धनबल के प्रभाव को निरुत्साहित किया जा सके।
  - निर्दलीय विधायक अपना मतपत्र किसी को प्रदर्शित नहीं करते।
- **दल-बदल निरोधक प्रावधान:** उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा के चुनाव में दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अंतर्गत अयोग्यता लागू नहीं होती।
- **नोटा (NOTA)/ शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत संघ मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत संघ मामले में राज्यसभा चुनावों के लिये 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प को निरस्त कर दिया।



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### अरब लीग परिषद के नए महासचिव



#### चर्चा में क्यों?

- अरब राज्यों के लीग (अरब लीग) की परिषद ने मिस्र द्वारा नामांकित नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त करने की मंजूर प्रदान की, जो अहमद अबुल घीत का स्थान लेंगे।



#### मुख्य बिन्दु:

- नवनियुक्त महासचिव: नबील फहमी (मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री)।
- पदभार: 1 जुलाई, 2026 (5 वर्ष के लिए)।
- उत्तराधिकारी: अहमद अबुल घेइत (2016-2026)।
- बील फहमी इस पद पर बैठने वाले 8वें मिस्र के नागरिक होंगे।

## अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

### अरब लीग

- **परिचय:** अरब लीग अरब देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विस्तारित संपूर्ण अरब-क्षेत्र के देश शामिल हैं।
- **उत्पत्ति:** इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के भू-राजनीतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल (वर्ष 1944) के बाद किया गया था।
- **स्थापना:** अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1945 में काहिरा में अरब लीग की स्थापना की गई।
- **संस्थापक सदस्य:** मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन (तब ट्रांसजॉर्डन) और यमन।
- **उद्देश्य:** अरब एकता को बढ़ावा देना, औपनिवेशिक विभाजनों का विरोध करना और फिलिस्तीन में विकास पर चिंताओं को दूर करना।
- **सदस्य:** वर्तमान अरब लीग में 22 अरब देश शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** काहिरा, मिस्र।

### भारत और अरब लीग (लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स):

- **दिल्ली घोषणा-पत्र:** 31 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया गया।
- **आर्थिक:** भारत और अरब देशों के बीच 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार होता है।
- **आयात:** भारत अपनी जरूरत का 47% कच्चा तेल और 50% उर्वरक व संबंधित उत्पाद अरब लीग के देशों से आयात करता है।
- **सामरिक महत्त्व:** भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है।
- **प्रवासी भारतीय:** अरब लीग के देशों में 90 लाख (9 मिलियन) से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### 2025-26 में भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता

#### चर्चा में क्यों?

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान 6.05 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2016-17 के 5.5 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।



#### मुख्य बिन्दु:

- वार्षिक वृद्धि:** मंत्रालय के अनुसार यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 46% अधिक है।
- कुल क्षमता:** इस वृद्धि के साथ, भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है।

--:20:--

# Daily Current Affairs

Date : 07 April, 2026



- **योगदान:** गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं, जो पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं की बढ़ती संख्या और हरित ऊर्जा के खुले उपयोग के प्रगतिशील कार्यान्वयन से समर्थित है।
- **सरकारी नीतियाँ:** पवन टरबाइनों के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ घटकों और कच्चे वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क, जून 2028 तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में श्रेणीबद्ध छूट, प्रतिस्पर्धी निविदा तंत्र, अलग पवन नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व (आरसीओ) ढाँचा और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान से तकनीकी सहायता
- **लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलता है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:21:--

## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚠

### फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) परियोजना (यार्ड 16501-14)

#### 📢 चर्चा में क्यों?

- भारतीय तटरक्षक बल के 14 FPV परियोजना (यार्ड 16501-14) के अंतर्गत 4 तेज़ गति वाले गश्ती जहाज़ (FPV) (यार्ड 16504) और FPV -7 (यार्ड 16507) के जहाज़ निर्माण की आधारशिला रखने का समारोह 6 अप्रैल, 2026 को मुंबई के मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में आयोजित किया गया।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

- निर्माता और समझौता: जनवरी, 2024 में MDL के साथ 14 एफपीवी के डिजाइन और निर्माण का अनुबंध संपन्न हुआ था।

# Daily Current Affairs

Date : 07 April, 2026



- **उद्देश्य:** ये जहाज तटीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, तस्करी विरोधी, और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं।
- **स्वदेशीकरण:** इन जहाजों में स्वदेशी घटकों के साथ-साथ मैसूर की त्रिवेणी कंपनी द्वारा निर्मित गियर बॉक्स और एमजेपी इंडिया द्वारा निर्मित वाटर जेट भी शामिल हैं।
- **प्रौद्योगिकी:** ये FPV अत्याधुनिक मशीनरी से लैस हैं, जिसमें AI-आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम और बहुउद्देशीय ड्रोन शामिल हैं।

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- 26 जून, 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) 'अदम्य' को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में शामिल किया गया था।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:23:--

## फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कलपक्कम

### चर्चा में क्यों?

- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 6 अप्रैल, 2026 को सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकैलिटी (नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत) प्राप्त कर ली है।



### मुख्य बिन्दु:

- यह महत्वपूर्ण उपलब्धि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) द्वारा संयंत्र प्रणालियों की सुरक्षा की गहन समीक्षा के बाद जारी की गई मंजूरी के बाद प्राप्त की गई।
- **विकास और डिजाइन:** फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की प्रौद्योगिकी का विकास और डिजाइन स्वदेशी रूप से इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) द्वारा किया गया था, जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

--:24:--

- **निर्माण और संचालन:** इसका निर्माण और संचालन भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (भविनी) द्वारा किया गया था, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- **फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)** भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक थर्मल रिएक्टरों के विपरीत, पीएफबीआर यूरेनियम-प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड (MOX) ईंधन का उपयोग करता है। पीएफबीआर का कोर यूरेनियम-238 की परत से घिरा होता है। तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ यूरेनियम-238 को विखंडनीय प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करते हैं, जिससे रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर पाता है। रिएक्टर को अंततः परत में मौजूद थोरियम-232 का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूपांतरण के माध्यम से थोरियम-232 यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए ईंधन का काम करेगा।
- इस रिएक्टर में उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ, उच्च तापमान वाले तरल सोडियम शीतलक की तकनीक और एक बंद ईंधन चक्र दृष्टिकोण शामिल है, जो परमाणु सामग्रियों के पुनर्चक्रण को सक्षम बनाता है, जिससे स्थिरता में सुधार होता है और अपशिष्ट कम होता है।
- पूर्णतः चालू होने पर, भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा।
- **क्रिटिकैलिटी:** वह अवस्था है, जब कोई परमाणु रिएक्टर स्व-संचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर, निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है।